रेल दावा अधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ।

वाद संख्या : ओ.ए./II/U/एलकेओ/58/2020

पीठासीनः न्यायमूर्ति श्री बच्चू लाल, माननीय सदस्य (न्याय), रेल दावा अधिकरण, लखनऊ।

संस्थन की तिथि : 31.10.2017
निर्णय की तिथि : 28.10.2024

1.मुन्नी उम्र लगभग 35 वर्ष, पत्नी स्व. भैरो प्रसाद (मृतका की बहू)
2.रोशनी देवी, उम्र लगभग 18 वर्ष, पुत्री स्व. भैरो प्रसाद (मृतका की पोती),

निवासीगण ग्राम रामनेर, पोस्ट जगतपुर, जिला उन्नाव। ....याचीगण

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे,
बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। ....उत्तरदाता

दावा राशि : रू0 20,00,000/- मय ब्याज

उपस्थितिः श्री सी.पी. सिंह, अधिवक्ता, याचीगण की ओर से।
श्री आर.के. तिवारी, अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री बच्चू लाल, माननीय सदस्य (न्याय)

1. याचीगण मुन्नी व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1989 की धारा-16 के अन्तर्गत दिनांक 25.05.2016 को अपनी सास कुंवारा देवी उर्फ राम कुमारी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप, उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की याचना के साथ प्रस्तुत की है। याचीगण के अभिकथन के अनुसार मृतका दिनांक 25.05.2016 को लखनऊ से उन्नाव रेलवे स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी यात्रा टिकट के साथ ट्रेन से यात्रा कर रही थी और यात्रा के दौरान उन्नाव रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन से नीचे गिर गयी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। लखनऊ से उन्नाव रेलवे स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी यात्रा टिकट घटना के दौरान कहीं गायब गया।

2. उत्तरदाता की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इनकार किया गया है और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि मृतका न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी से यात्रा कर

रही थी और न ही मृतका प्रश्नगत ट्रेन से गिरी अपितु मृतका उपेक्षापूर्ण रेलवे लाइन पार कर रही थी जिस कारण उसको चोट लगी और मृत्यु को प्राप्त हो गयी जिसकी जिम्मेदारी मृतका की स्वयं की है। अतः यह घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी)(2) सपठित धारा 124 ए की परिधि में नहीं आती एवं प्रतिवादी रेल अधिनियम, 1989 की धारा-124 ए से संरक्षित है। तदनुसार, दावा याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

वाद-बिन्दु

3. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 26.08.2021 को निम्नलिखित वादबिन्दु बनाये गये :-

1. *Whether the deceased was a bonafide passenger of the train in question?*
2. *Whether incident of death of the deceased falls under the ambit of an untoward incident as defined u/s 123 (c) (2) read with Section 124-A of the Railways Act 1989 ?*
3. *Whether the applicants are the only dependents of the deceased?*
4. *To what relief ?*

4. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में याचिनी संख्या-1 (मुन्नी) का शपथ पत्र ए.डब्लू.-1 के रूप में तथा राम सागर का शपथ पत्र ए.डब्लू.-2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों का प्रतिपरीक्षण दिनांक 10.08.2023 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा किया गया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से पंचनामा, शव परीक्षण आख्या, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में अपर मण्डल रेल प्रबन्धक, लखनऊ की ओर से वैधानिक विवेचना आख्या की प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी। श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, लोको पायलट का शपथ पत्र आर. डब्लू.-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसका प्रतिपरीक्षण याचीपक्ष की ओर से दिनांक 23.09.2024 को किया गया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या-01 व 02

7. ये दोनों वाद-बिन्दु एक-दूसरे से सम्बन्धित है इसलिए इनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में इस अधिकरण के समक्ष दो विपरीत वृतान्त (Narratives) प्रस्तुत किए गए हैं। याचीगण के

अनुसार मृतका दिनांक 25.05.2016 को लखनऊ से उन्नाव रेलवे स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी यात्रा टिकट के साथ ट्रेन से यात्रा कर रही थी और यात्रा के दौरान उन्नाव रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन से नीचे गिर गयी और उनकी मृत्यु हो गयी। दूसरी ओर, प्रतिवादी रेलवे के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी चालक श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव का बयान है कि गाड़ी सं.-12004 डा. को कानपुर सेन्ट्रल से समय 11.29 बजे लेकर सकुशल चला उक्त गाड़ी जब उन्नाव रेलवे स्टेशन के किमी 54/6 के पास पहुँच रही थी कि एक बूढ़ी महिला डाउन लाइन के पास खड़ी थी जिसके लिए मैं हार्न बजाता रहा कि अचानक वह मेरी गाड़ी के सामने आ गयी और रन ओवर हो गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम रीना देवी** ***(2018 ए.सी.जे.1441)*** के मामले में पैरा-17.4 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

> *"Mere presence of a body on the Railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."*

अतः प्रथमतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे अपने दावे को सिद्ध करें। इस घटना के सम्बन्ध में याचीगणों ने प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पंचनामा, शव परीक्षण आख्या तथा परिवार रजिस्टर तथा ए.डब्लू.-1 के रूप में याचिनी संख्या-1 मुन्नी तथा ए.डब्लू.-2 राम सागर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। दोनों का प्रतिपरीक्षा न्यायालय के समक्ष हुआ है। अतः मैं इस प्रकरण के तथ्यों एवं तत्संगत परिस्थितियों के आलोक में इन साक्ष्यों का विवेचन करूँगा।

8. उत्तरदाता की ओर से *स्टेशन मास्टर उन्नाव द्वारा थाना प्रभारी आरपीएफ/जीआरपी और एडीएमओ उन्नाव 12004 डा.ने सूचित प्लेटफार्म नं. 3 पर किमी.नं. 54/6-4 के पास एक बूढ़ी महिला मेंरी गाड़ी के आगे गिर गयी है। देखने पर SS/on ने सूचित किया कि महिला जिन्दा है। उसे ट्रैक से निकाल लिया गया है। कृपया उचित कार्यवाही करें।* तत्पश्चात् उक्त सूचना पर मृतका का पंचायतनामा दिनांक 26.05.16 को समय 08.15 बजे सुबह किया गया। पंचायतनामा में पंचों की राय के यह अंकित है कि ***मृतका कुंवारा की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना प्रतीत हो रही है।*** एस.आई. की राय भी पंचों की राय से मेल खाती है। पंचायतनामा में मृतका के शरीर पर निम्न चोटे पाये

जाने का उल्लेख है मृतका के माथे पर चोट (खूना आलूद)/ गले में पीछे साइड चोट, बाये हाथ में चोट लगी है पट्टी बंधी है, बायां पैर कूल्हे से टूटा है तथा पूरे पैर में खरोच है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का तत्कालिक कारण "Coma due to Antimortem Head Injury." बताया गया है। चोटों की प्रकृति तथा जैसी स्थिति में मृतका रेलवे ट्रैक में पड़ी पायी गयी है। इससे यह साबित नहीं होता है कि मृतका चलती ट्रेन से नीचे गिरी हैं। याचीगण की ओर से ए.डब्लू.-1 मुन्नी का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि शपथनी की सास कुंवारा देवी उर्फ राम कुमारी की दुखद मृत्यु दिनांक 25.05.2016 को उन्नाव रेलवे स्टेशन पर अचानक रेलगाड़ी से गिरकर आयी गम्भीर चोटों के परिणाम स्वरूप हो गयी थी। घटना वाले दिन शपथनी के गांव के राम सागर पुत्र श्री गया प्रसाद की उपस्थिति में शपथनी की सास लखनऊ रेलवे स्टेशन से उन्नाव रेलवे स्टेशन तक के लिये रेलवे टिकट खरीदकर रेलगाड़ी पैसेन्जर पर सवार हुई थी। जिरह में कहा कि *यह कहना गलत है कि मृतका की उन्नाव रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-12004 से लाईन पर टकराने के कारण उसकी घायल होकर मृत्यु हो गई। यह भी कहना गलत है कि वह किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रही थी और रेलवे के खिलाफ झूठा दावा दाखिल किया है।* ए.डब्लू.-2 राम सागर का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 25.05.2016 को शपथी की उपस्थिति में मृतका कुंवारा देवी उर्फ राम कुमारी लखनऊ रेलवे स्टेशन से उन्नाव रेलवे स्टेशन तक के लिये रेलवे टिकट खरीदकर रेलगाड़ी पैसेन्जर पर सवार हुई थी। बाद में पता चला कि मृतका की दुखद मृत्यु अचानक रेलगाड़ी से गिरकर आई गम्भीर चोटों के परिणाम स्वरूप हो गयी है। जिरह में कहा कि *मृतका मेरी पड़ोसी होने के नाते मेरा उनसे परिचय था। मुझे जानकारी मिली कि मृतका ट्रेन से टकराकर मर गई। आज जो शपथ पत्र मैंने न्यायालय में दाखिल किया है वह मुन्नी देवी के कहने से किया है।* उल्लेखनीय है कि ए.डब्लू.-2 राम सागर स्वीकृत रूप से मृतका का पड़ोसी है जो मृतका का जानने वाला है। इस साक्षी का कथन इस प्रकृति का नहीं है जिसपर सहजता से विश्वास किया जा सकें। अतः मृतका का प्रश्नगत ट्रेन का सदभावी यात्री होना साबित नहीं है। मृतका के पास से यात्रा सम्बन्धी कोई रेल टिकट बरामद नहीं हुआ है। याचिनी मुन्नी ए.डब्लू.-1 भी स्वीकृत रूप से घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अतः उनके शपथ पत्र के कथन से याचिका में अंकित अभिकथनों की पुष्टि नहीं होती है। वैधानिक विवेचना आख्या के साथ याचिनी मुन्नी ए.डब्लू.-1 का बयान संलग्न है जिसमें उसने जॅाच के दौरान पुलिस को दिये अपने बयान में यह कहा है कि मृतका कुंवारा देवी उर्फ राम कुवारी पत्नी स्व.राम सेवक मेरी सास थी जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी दिनांक 25.05.16 को वह घर से अपनी लड़की नन्ही के पास इटावा जाने के लिए कह कर गई थी। दिनांक 26.05.16 को अखबार में छपी खबर में पता चला कि मेरी सास का उन्नाव स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में घायल हो गई है। उक्त खबर पढ़कर मै। अपनी पुत्री रोशनी के साथ जिला अस्पताल उन्नाव गई। जहॉ पर पता चला कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। अतः उपरोक्त गवाहों के बयान से भी मृतका के ट्रेन से यात्रा करने व ट्रेन से गिरने के संकेत नहीं मिलता है बल्कि

मृतका का गाड़ी संख्या-12004 डा. से टकराने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में भी याचीगण मुन्नी ए.डब्लू.-1 व राम सागर ए.डब्लू.2 का कथन विश्वसनीय नहीं पाया जाता है। पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व समस्त तथ्यों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं इस मत पर पहुँचा हुं कि मृतका ट्रेन से कहीं भी यात्रा नहीं कर रही थी। याचीगण के साक्षी ए.डब्लू.-1 व ए.डब्लू.-2 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही हैं अतः उनके साक्ष्य के आधार पर अनपेक्षित घटना के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। घटना के संगत सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से, याचीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

9. याचीगण के इन साक्ष्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुं कि वे प्रश्नगत घटना को सिद्ध करने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर वैधानिक विवेचना आख्या में निष्कर्ष निकाला गया है कि मृतका रेल द्वारा यात्रा नहीं कर रही थी बल्कि मृतका की मृत्यु लापरवाहीपूर्वक रेल लाइन पार करते समय गाड़ी संख्या 12004 के टकराने से हुई है। उत्तरदाता की ओर से श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, लोको पायलट आर.डब्लू.-1 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित है कि *दिनांक 25.05.2016 को गाड़ी सं.-12004 डा. को कानपुर सेन्ट्रल से समय 11.29 बजे लेकर सकुशल चला उक्त गाड़ी जब उन्नाव रेलवे स्टेशन के किमी 54/6 के पास पहुँच रही थी कि एक बूढ़ी महिला डाउन लाइन के पास खड़ी थी जिसके लिए मैं हार्न बजाता रहा कि अचानक वह मेरी गाड़ी के सामने आ गयी और रन ओवर हो गयी। उक्त घटना की सूचना शपथी ने वीएचएफ के माध्यक से गार्ड श्री सुशील कुमार व स्टेशन मास्टर उन्नाव को दिया था।* ***जिरह में कहा कि हॉ मैंने घटना होते हुए देखी है। मैंने यह नहीं देखा डेड बाडी लाइन पर पहले से पड़ी थी। घटना उन्नाव स्टेशन की है।*** इसके साथ लोको पायलट डायरी की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे याचीगण को कोई लाभ प्राप्त हो सकें। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इसकी साक्ष्य से यही साबित है कि मृतका की मृत्यु गाड़ी सं. 12004 से टकरा कर हुई है। जॉच अधिकारी ने जॉच के दौरान ट्रेन सं. 12004 के गार्ड सुशील कुमार का भी बयान अंकित किया है। जिसमें उसने बताया है कि गाड़ी सं. 12004 के चालक श्री एस.के.श्रीवास्तव ने वीएचएफ के माध्यम से सूचित किया कि एक महिला गाड़ी के नीचे आ गयी है। जिसकी सूचना मैंने वीएचएफ के माध्यम से आन ड्यूटी SM/ON को दिया और स्टे. मास्टर उन्नाव ने मेरी सूचना को प्राप्त किया। जॉच अधिकारी ने हैदर मेंहदी स्टे. मास्टर उन्नाव का बयान भी अंकित किया जिसमें उन्होंने बताया कि 25.05.2016 को मेरी डयूटी आन स्टेशन पर बतौर स्टेशन मास्टर 0-8 से 16 बजे की पाली में थी समय लगभग 12.50 बजे गाड़ी से 12004 के चालक सूचना दिया कि प्लेटफार्म नं.3 किमी. 56/6-56/4 के बीच एक बूढ़ी महिला मेरी गाड़ी के आगे गिर गई है स्टेशन अधीक्षक ने देखकर बताया कि महिला जीवित है जिसको ट्रैक से निकाल लिया गया। उक्त घटना की सूचना मिलने पर रेसुब/जीआरपी उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मेमो दिया था। घायल/मृतक पंजिका उन्नाव दिनांक 25.05.2016

की प्रति भी संलग्न है जिसमें इसी आशय का उल्लेख है। स्टेशन की दैनिकी पुस्तक की प्रति भी संलग्न है जिसमें भी गाड़ी सं.12004 डा. के ड्राइवर द्वारा प्लेटफार्म नं.3 किमी. 56/6-56/4 के बीच एक बूढ़ी महिला उसकी गाड़ी के आगे गिर गयी की सूचना देने का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभिलेख शासकीय दायित्व के सामान्य निर्वहन में तैयार किया जाता है, अतः रेलवे अधिनियम 1989 की धारा-191 के अर्न्तगत इसकी सत्यता के विषय में उपधारित किये जाने में मेरे मत में कोई विधिक-बाधा प्रतीत नहीं होती है। जॉच आख्या के साथ घटनास्थल के नक्शा-नजरी भी संलग्न किया गया जिसमें मृतका का शव डा. लाइन के पड़ा होना दर्शाया गया है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों से यही स्पष्ट है कि मृतका गाड़ी सं. 12004 से टकरा गयी थी जिसके परिणामस्वरूप आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत इन साक्ष्यों से वे याचीगण के घटना सम्बन्धित दावे का सम्यक् खण्डन करने में सफल रहे हैं।

10. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में इस वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रभावी साक्ष्यों के आधार पर मेरे मत में याचीगण यह तथ्य साबित करने में असफल रहे हैं कि मृतका प्रश्नगत अनपेक्षित घटना (*Untoward incident*) की शिकार हुई थी और वह सद्‌भावी यात्री थी, दूसरी ओर उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के प्रकाश में यही तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतका सद्‌भावी यात्री नहीं थी बल्कि मृतका की मृत्यु उक्त गाड़ी सं.12004 डा. के सामने आने के परिणामस्वरूप हुई है तथा मृतका का चलती ट्रेन से गिरना भी साबित नहीं पाया जाता है। तद्‌नुसार वाद-बिन्दु संख्या-1 व 2 याचीगण के विरूद्ध नाकारात्मक रूप से विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या-03 एवं 04</u>

11. वाद-बिन्दु संख्या-01 व 02 की विवेचना के प्रकाश में मेरी राय में इन वाद-बिन्दुओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है तथा याचीगण की याचिका खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार, निम्न आदेश दिया जाता है।

<u>आदेश</u>

12. याचीगण मुन्नी व अन्य की याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्षकार अपना-अपना वाद-व्यय वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति बच्चू लाल)
सदस्य (न्याय)
दि. 28.10.2024

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(न्यायमूर्ति बच्चू लाल)
सदस्य (न्याय)
दि. 28.10.2024